

व्यापार विकास सहायता (बीडीए)/ Business Development Assistance (BDA)

शुरुआत में, एक पीओ आम तौर पर अपने सदस्यों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, आदि जैसे कृषि निवेश की बड़ी मात्रा में खरीद और वितरण करता है इसके बाद सदस्यों को कृषि सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, अपने सदस्यों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने हेतु उत्पादन एकत्रीकरण, मूल्य संवर्धन/ प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करता है। तथापि, ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन, इसके शेयरधारकों/ मताधिकार रखने वाले सदस्यों द्वारा इक्विटी अंशदान में कमी तथा सांपार्श्विक प्रतिभूति के अभाव में ऋण तक पहुंच न होने के कारण, अपर्याप्त होते हैं। इस सीमा को पूरा करने के लिए, केवल नाबार्ड से वित्तीय सहायता के साथ संवर्धित एफपीओ को व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए एकबारगी अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी जो प्रति पीओ रु.5.00 लाख से अधिक नहीं होगी और कुछ पात्रता मानदंडों के अधीन होगी। इस सहायता का उपयोग सीधे कार्यशील पूंजी में या लघु अवसंरचना (उत्पादन प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकिंग, पैकेजिंग, कृषि मशीनरी और अन्य उपकरणों को किराए पर लेना/देना, पीओ के संचालन के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आदि से संबंधित) प्राप्त करने के लिए या ऋण दात्री संस्थाओं से लिए गए ऋण सहित लाभ के रूप में किया जाए। निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अधीन पीओ द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है:-

Initially, a PO generally undertakes bulk purchase and distribution of agri inputs like seeds, fertilisers, pesticides, etc., to its members, followed by arranging farm advisory services to members, undertakes produce aggregation, value addition/ processing and marketing for realizing a remunerative price for the produce of its members. However, the financial resources needed to initiate such business activities are often inadequate due to poor equity contribution by its shareholders / members having voting rights and lack of access to credit for want of collateral security. To address this limitation, a one-time grant support, not exceeding Rs. 5.00 lakh per PO, shall be extended towards taking up business activities, to the FPOs promoted with financial assistance from NABARD only, subject to certain eligibility criteria. The assistance could be utilised directly as working capital or for acquiring small infrastructure (related to produce processing, grading, packing, packaging, custom hiring of farm machinery and other equipment, accounting software for the PO operations, etc.) or along with loan to be leveraged from the lending institutions. This could be availed by the POs subject to the following eligibility criteria: -

(क) पीओ को कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए.

a) PO should have been registered either under Companies Act or Cooperative Societies Act.

(ख) पीओ ने कम से कम 5 वर्षों के लिए व्यवसाय योजना तैयार की, आवश्यक व्यापार लाइसेंस जहां आवश्यक हो वहां प्राप्त किए और अन्य पूर्व-आवश्यकताएं प्राप्त की; और व्यापार योजना के अनुसार वांछित गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक के लिए योजना, यदि कोई हो, तैयार की.

b) PO has prepared business plan for a minimum of 5 years, obtained necessary business licenses, where required, and other pre-requisites; and planned for logistics required, if any, for running the intended activities as per the business plan.

(ग) बीडीए पर पीओ में शेयरधारकों/ शेयरधारक सदस्यों द्वारा शेयर पूंजी अंशदान के समतुल्य आधार पर विचार किया जाएगा लेकिन प्रति व्यक्ति शेयरधारक/ सदस्य रु.2000 से अधिक न हो और प्रति एफपीओ अधिकतम रु.5 लाख की वित्तीय सहायता के अधीन हो. दूसरे शब्दों में, समतुल्य अंशदान पर पहुंचने के उद्देश्य से प्रति शेयरधारक सदस्य को रु.2000 का अधिकतम शेयर पूंजी अंशदान माना जाएगा यद्यपि कुछ सदस्यों ने शेयर पूंजी के लिए रु.2000 से अधिक का अंशदान दिया हो. सहकारी के रूप में पंजीकृत पीओ के संबंध में गैर-शेयरधारक सदस्यों/ नाममात्र के सदस्यों/ सदस्यों जिनके पास मताधिकार नहीं है, आदि से पीओ द्वारा एकत्र नाममात्र शुल्क, यदि कोई हो, तो बीडीए के लिए पात्र के समतुल्य अनुदान के निर्धारण हेतु नहीं माना जाएगा.

c) BDA would be considered on matching basis of share capital contribution by the shareholders / shareholder members in the PO, but not exceeding Rs.2000 per individual shareholder / member and subject to a maximum financial assistance of Rs.5 lakh per FPO. In other words, for the purpose of arriving at the matching contribution, maximum share capital contribution of Rs. 2000 per shareholder member would be reckoned even if some members have contributed more than Rs.2000 towards share capital. Nominal fee collected by the PO from non-shareholder members / nominal members/ members not having voting rights, etc., if any, in respect of a PO registered as a Cooperative, shall not be reckoned for assessing the matching grant as eligible for BDA.

(घ) पीओ द्वारा अधिकतम 2 किस्तों में 5 वर्ष की कार्यक्रम अवधि के दौरान कुल बीडीए का लाभ उठाया जा सकता है. प्रत्येक किस्त में नाबार्ड द्वारा विचार की गई सहायता की राशि उक्त (बी) और (सी) में दर्शाए गए मानदंड की पूर्ति के अधीन होनी चाहिए. ऐसे मामले में, पहली किस्त के लिए दावा केवल तभी पात्र होगा जब पीओ ने 'कठिन क्षेत्रों' में संवर्धित पीओ के संबंध में 100 से कम शेयरधारक सदस्यता और 'अन्य क्षेत्रों' में संवर्धित पीओ के संबंध में 200 से कम शेयरधारक सदस्यता प्राप्त न की हो. यह अपेक्षा की जाती है कि पीओ को अपने प्रारंभिक विकास के चरण में आंशिक बीडीए का लाभ लेने के लिए आवश्यक लीवरिज प्रदान किया जा सकेगा ताकि अपने व्यवसाय संचालन का विस्तार किया जा सके, विशेष रूप से मुख्यधारा के बैंकों के साथ ऋण लिंकेज की अनुपलब्धता की स्थिति के दौरान परिचालन पीओ में शेयरधारकों/ शेयरधारक सदस्यों के अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त हो सके.

d) The total BDA may be availed by a PO during the programme period of 5 years in a maximum of 2 instalments. The amount of assistance considered by NABARD in each

instalment shall be subject to fulfilment of the criterion indicated at (b) & (c) above. In such a case, claim for first instalment shall be eligible only after the PO has attained a shareholder membership of not less than 100 in respect of POs promoted in 'Difficult Areas' and not less than 200 in respect of POs promoted in 'Other Areas'. This is expected to provide the necessary leverage to the PO in its initial growing stages in availing part BDA so as to expand its business operations, especially during the stage of non-availability of credit linkage with the mainstream banks, paving the way for increased infusion of shareholders / shareholder members into the fold of the operating PO.

(इ) बीडीए सीधे पीओ को जारी किया जाएगा. पीओ अपने तुलन-पत्र में 'रिजर्व्स' के तहत अनुदान की प्राप्ति का संकेत देगा.

e) The BDA shall be released directly to the PO. The PO would indicate the receipt of grant for under 'Reserves' in its balance sheet